

TEL-91-0120-2657001-6 FAX-91-0120-2657018

Mohan Meakin Limited

MOHAN NAGAR GHAZIABAD (U.P) PIN - 201 007 (INDIA)

REGD. OFFICE: SOLAN BREWERY, SOLAN-173214 (H.P.)
CIN-L15520HP1934PLC000135

E-mail: mohannagar@mohanmeakin.com
Web: www.mohanmeakin.com

The Secretary, Calcutta Stock Exchange Ltd., 7, Lyons Range, KOLKATA - 700001.

Date: - 30/05/2024

Dear Sirs/Madam.

Sub: Newspaper advertisement pertaining to financial results of Q4 FY 2024.

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, please find enclosed copies of the newspaper advertisement pertaining to financial results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2024. The advertisements were published in English and Hindi newspapers today. This information will also be hosted on the Company's website, at www.mohanmeakin.com.

This is for your information and records.

Yours faithfully,

MOHAN MEAKIN LIMITED,

(Minas Kumar)

Company Secretary.

Encls. a/a

Panel probing Shubh Karan's death submits interim report to HC

place of occurrence was within

the jurisdiction of the State of

cause of death, the committee

opined that it would be appro-

priate to direct the investigating

agency to get a report from the

Central Forensic Science

Laboratory (CFSL), Chandigarh,

to answer the question posed

about the weapon used and the

bullet/pellets discharged as it

would ease the apprehension of

the farmers who have raised

concern about fair investigation.

mittee that the case property is

with the Punjab Police and or-

ders would be required to hand

over the same to the investigat-

ing agency, as appointed by the

high court, which would then

get the necessary report from

sues and to comply with the di-

rections issued, the statements

of the farmers who were injured

have to be recorded and the

committee would thereafter

record the statements of the po-

lice personnel in-charge and

extension of time to give its re-

request of the committee as such

to continue in its endeavour, as

the Punjab government to sub-

mit the record regarding the

postmortem report along with

the pellets collected from the

body of the deceased (Shubh

Karan) to the CFSL, Chandigarh,

so that opinion can come by the

next date of hearing from the

said laboratory regarding the

type of weapon and the

7,2024," ordered the high court.

Union of India) shall ensure that

the office of the CFSL,

Chandigarh, gives the necessary

report to this court through the

registrar general by the next date

of hearing, said the high court.

|सुनाए जाऐंगे।

1 Total income from operation

Net profit for the period (bef Tax and Exceptional and/or

Net profit for the period afte tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

Equity share capital

Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax

eserves (excluding Revaluatio eserve) as shown in the Audite alance Sheet of the previous yea

Earnings per share (Face valu of Rs.5/- each) Basic and Diluted (Rs.)

"The needful be done by June

Dheeraj Jain (Senior Counsel,

bullet/pellets which it fired.

per the directions issued.

The committee thus sought

The high court acceded to the

The high court also directed

present at the spot.

Also, to examine the other is-

It is thus opined by the com-

Regarding the issue of the

Haryana and nowhere else".

Place of occurrence was within jurisdiction of Haryana: Report

EXPRESS NEWS SERVICE CHANDIGARH, MAY 29

THE COMMITTEE formed to probe the death of Shubh Karan Singh during the 'Dilli Chalo' farmers' protest has submitted its interim report before the Punjab and Haryana High Court. The report states that the young farmer (Shubh Karan Singh) was hit by pellets and "the place of occurrence was within the jurisdiction of the State of Haryana and nowhere else.

Twenty-two-year-old Shubh Karan Singh, a native of Bathinda, was allegedly killed during a clash between farmers and security personnel at Khanauri on the Punjab-Haryana border on February 21.

The interim report was submitted by the committee headed by retired HC judge Jaishree Thakur.

The panel was formed by the high court on March 7 to inquire into the various aspects leading to the death of Shubh Karan Singh. The high court had also ordered that the committee would be assisted by Additional Director General of Police (Punjab) Promod Ban and ADGP (Haryana) Amitabh Singh

A PIL (public interest litigation) concerning the farmers' protest and the death of Shub Karan Singh was being heard by a division bench of Acting Chief Justice G S Sandhawalia and Justice Lapita Banerji.

During the resumed proceedings of the case, the interim report submitted by the HC panel mentioned that "the deceased-Shub Karan, who was hit by pellets, was standing next to the electric pole situated in Khasra No.10/12, adjacent to the road within the revenue estate of Data Singh Wala village, Jind district. The location has been identified by the parties whose statements were recorded which was approximately 500

metres from the Punjab border". The committee thus is of the

considered opinion that "the Social security pension: HC says negligence cannot be used

EXPRESS NEWS SERVICE CHANDIGARH, MAY 29

as a defence

PROBING INTO the alleged scam of disbursal of social security pension to ineligible people in Haryana, the Punjab and Haryana High Court has noted that the scam could not have been executed by one person and negligence cannot be used as a defence given the volume of bogus claims and lapses at

which it has been carried out. Earlier, the CBI, in its preliminary report, had recommended taking disciplinary action against

the erring officials The bench of Justice Vinod S Bhardwaj is hearing a petition filed by Rakesh Bains and another, through Advocate Pardeep Kumar Rapria.

As per the petitioner, even though the respondent (state) had itself, in its response, acknowledged that as many as 14,000 illegal beneficiaries have been identified in Haryana and had assured initiation of appropriate measures for effecting recovery and to also take effective steps against the people criminally involved, no action has been taken so far.

Justice Bhardwaj also fixed the matter for further hearing on August 9 for the CBI counsel to seek answers to the questions before submitting response.

MAHENDRAGARH SCHOOL BUS ACCIDENT

Before recruiting bus driver, school must verify he is not a thug, an addict: High Court

Junks advance bail plea of school director

JAGPREETSINGHSANDHU CHANDIGARH, MAY 29

NOTING THAT before recruiting a driver for a school bus, it is of utmost importance to verify the person behind the wheel is "safe, not substance dependent", the Punjab and Haryana High Court has dismissed the anticipatory bail plea of the director of a school whose bus rammed a tree killing six children in the accident on April 11 in Haryana's Mahendragarh. The driver was allegedly under the influence of alcohol at the time of the accident.

A bench of Justice Anoop Chitkara was hearing the anticipatory bail application filed by Subhash Yadav, Director, GLPublic School, Samiti Kanina, Mahendragarh district, Haryana, who was booked under sections 109, 120-B, 279, 304, 336, 337 of IPC and 185 and 192 of Motor Vehicles Act, 1954, following the

Yadav submitted before the high court that he was neither the bus driver nor its owner, and it was the bus driver's fault, not his. Yadav submitted that his custodial interrogation would amount to noth-

However, state counsel opposed the plea on the ground that the accident had caused death of six students, and injured severa others, three of whom have sustained grave injuries, having detrimental lifetime implications. Additionally, the bus was in a terrible dilapidated condition and was not even insured. Also, the driver was found to be under the influence of alcohol at the time of the incident, it was contended by state counsel. When the driver was arrested, the doctor could smell alcohol on his breath, and his blood samples have been sent to FSL, the report of which is awaited, submitted state counsel.

The high court was told that as per the investigation, the petitioner and other officers of the

ing per equity sha

2,734.24

2,024.79

425.42

Quarter Ended Year Ended 31.03.2023 31.03.2023

Audited Audited

8,878.54

6,839.50

6,911.70

425.42

27,596.34

बोली सूचना

नगर निगम, करनाल द्वारा कृषि योग्य भूमि की एक वर्ष (2024–25)

के लिए गाँव उचाना, झंझाड़ी, कम्बोपुरा, फूसगढ़, कैलाश, जरीफा

वीरान व सैदपुरा की दिनांक 07.06.2024 को प्रातः 11:00 बजे

नगर निगम, करनाल कार्यालय स्थित सैक्टर-12, करनाल के

कॉन्फ्रैन्स हॉल में बोली आयोजित की जाएगी। बोली में भाग लेने से

पूर्व सम्भावित बोलीदाता को दिनांक 06.06.2024 को सायं 4:00

बजे तक 50,000/- रुपए की धरोहर राशी डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप

में नगर निगम, करनाल में जमा करवानी होगी। उपरोक्त डिमाण्ड

ड्राफ्ट आयुक्त, नगर निगम, करनाल के हक में देय होना अनिवार्य

होगा जोकि असफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के तुरन्त बाद मौका

पर ही लौटा दिया जाएगा। बोली के सभी नियम व शर्ते मौका पर

MOHAN MEAKIN LIMITED

Regd. Office: Solan Brewery (P.O.)- Shimla Hills (H.P.) - 173214 CIN No. L15520HP1934PLC000135

Web Site: www.mohanmeakin.com
Tel. No. 01792-230450, 230423, Email ID: solan@mohanmeakin.com
EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

Quarter Ended 31.03.2024

59,905.64

4,016.07

2,969.34

425.42

Year Ended 31.03.2024

1,92,992.2

11,393.96

8,470.00

8,695.59

425.42

36,206.85

Dharmender(driver)was an alcoholic and would indulge in drinking liquor frequently. Also, neither the petitioner nor the school management checked whether Dharmender was in his senses before going for his duty to pick up children for school. In the investigation, it was also revealed that to save money, the petitioner and the owners were using a school bus

that was no better than a tumbril. The high court in the order noted that the school management, of which the petitioner is a part, employed Dharmender on a monthly salary of Rs 9,000 without basic fact-checking about his addiction to alcohol and intoxi-

Justice Chitkara said, "Before recruiting a driver for a school bus, it is of utmost importance to verify the driver's criminal antecedents and also to ensure that the driver is a safe and decent member of society, is not substance dependent, is not a thug, and is soft-spoken, considerate, decent, and very well-behaved. It is the least expected of the management of every school, and it is a constitutional obligation of the Executive not only to cross-check such credentials but also to validate the character of every school bus driver to ensure that school children are not at the mercy of perverts and addicts and to keep an eye on the standard of fitness

requisite to such buses.' Justice Chitkara noted that the investigator has gathered sufficient evidence, which prima facie sets up that on the unfortunate day of April 11, 2024, Dharmender, who was deputed to drive the bus, had taken alcohol in the morning itself, leading to the loss of six bright lives and severe injuries to many more students, which in turn devastated the families and lives of the injured.

Rejecting the pre-arrest plea, the bench asserted, "Children are the lifeblood and essence of any family, community and society. In families they shape the lives of their loved ones for the better, imparting a sense of purpose, bringing joy, love and strengthening the relationships.... Children are our today and our tomorrow.

"The fundamental reason for existence of the institution of school is to nurture and develop the children. Schools are established and administered, keeping the primary consideration of the welfare of children in mind, striving to cater to the constantly evolving needs of a growing child; within a safe, nurturing and supportive environment. Thus, when parents put their faith in a school establishment and entrust their child's safety to it, such a sensitive and immense responsibility needs to be taken solemnly, and should be approached with great caution, utmost seriousness and

"The school administrators cannot simply play the blame game, attributing faults to others and evade their fundamental, implicit/explicit duties, obligations and liabilities, under the guise of ignorance or negligence.

RESIDENTIAL BUILDINGS

Haryana to blacklist architects issuing occupation docus for illegal 4th floors

EXPRESS NEWS SERVICE CHANDIGARH, MAY 29

THE HARYANA government has vowed to act tough with house owners and architects who issue occupation certificates for fourth-floor construction in residential buildings with plans sanctioned after February 23, 2023, when such constructions in stilt+4 floor residential buildings were banned.

The government had warned architects not to issue such occupation certificates. It had also warned house owners to "restore their buildings to the original condition", or in other words, to raze the fourth floors built with such occupation certificates.

While such architects will be blacklisted and legal action taken against them, the house owners will also be penalised. They have also been barred from selling or buying fourth floor buildings

constructed in violation of the ban. The Department of Town and Country Planning has issued fresh directions reiterating its order banning fourth-floor construction in residential buildings across the state. It has found that some architects were issuing or cupation certificates for such construction even where the building plan was not sanctioned before February 23, 2023.

FULL REPORT ON www.indianexpress.com

]	DIRECT	ORATE	OF PU	NJAB S	TATE L	OTTER	IES	
DRAW T		PM ONWA						W DATE:2	9/05/2024
	RESU	LT OF PUN	JAB STATI	E DEAR 10	SILVER WI	EDNESDAY	WEEKLY	LOTTERY	
			M	RP Rs 1	0/- Per '	Ticket			
1 of Dui	zo Amor	unt (10)F					On lost	4 digita	
		()	,	,		,	On last	4 uigits)	
,		unt Rs.500	/-, Total I	rize Amoi	unt Rs.105	600/- each)			
58	49								
2nd Pr	ize Amo	ount (10)	Rs.2000	/ Comn	non to al	l series (On last	4 digits)	
		unt Rs.200		,		,		,	
,	24	unt 13.200	, Total I	Tize Amo	unt 13.220	or-cach)			
		4 (100	D 500		4 10		0 1 4	. 11 17 \	
		unt (100	,	,		,	On last 4	l digits)	
		unt Rs.50/	,			,			
0636	2440	2465	3273	3602	4631	6185	8840	9104	9843
4th Pr	ize Amo	unt (100)Rs.200/	-, Comm	on to all	series (On last 4	digits)	
(Seller F	rize Amo	unt Rs.20/	-, Total Pi	rize Amou	nt Rs.220/-	- each)		. ,	
0506	0615	1377	2763	3691	4889	5372	7931	9082	9427
5th Pr	ize Amo	unt (200	0)Rs 100)/- Com	mon to a	Il series	On last	4 digits	1
		unt Rs.10/	/	,			(On mot	digits	,
(Sener 1 0007	0008	0186	-, 1 otal Pi	0278	0307	- eacn) 0329	0334	0335	0340
0366	0373	0426	0437	0580	0809	0829	0883	0971	0980
1054	1179	1339	1361	1384	1412	1451	1464	1471	1494
1516	1528	1575	1591	1633	1698	1708	1735	1741	1751
1754	1756	1802	1826	1878	1888	1992	2076	2083	2126
2183	2227	2260	2296	2396	2398	2429	2435	2450	2550
2563	2576	2610	2694	2723	2759	2783	2899	2927	2959
3014	3072	3172	3214	3286	3301	3423	3444	3662	3755
3783	3811	3821	3836	3897	3963	4035	4074	4115	4126
4137	4228	4239	4256	4266	4306	4329	4346	4424	4471
4563	4564	4603	4645	4780	4823	4842	5063	5094	5105
5199	5220	5235	5347	5634	5665	5707	5768	5779	5918
6043	6067	6084	6151	6152	6267	6269	6327	6332	6434
6491	6494	6509	6620	6637	6685	6792	6827	6838	6928
7010	7034	7073	7113	7133	7145	7149	7150	7180	7305
7343	7445	7466	7467	7469	7506	7554	7573	7593	7649
7780 8459	7808	7846	7960	7971	8052	8095	8160	8196	8407
8459	8543	8544	8603	8611	8752	8812	8835	8836	8964

9183

9342

UNJAB STATE LOTTERIES

9361

9397

9443

8995

9010

9021

9023

9679

TATA STEEL LIMITED

Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Fort, Mumbai 400 001, India Corporate Identification Number: L27100MH1907PLC000260

Tel No: +91 22 6665 8282 E-mail: cosec@tatasteel.com Website: www.tatasteel.com

Transfer of Equity Shares of Tata Steel Limited (arising on account of the amalgamation of Tata Steel Long Products Limited into and with Tata Steel Limited) to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) This Notice is published pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, as amended, ('the Act') read with the Investor Education and Protection

Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended, ('Rules'). The Act and the Rules, inter alia, contains provision for transfer of unclaimed dividend to IEPF and transfer of shares, both held in physical form as well as in electronic form, in respect of which dividend(s) has not been paid or claimed by the shareholder(s) for seven consecutive years or more, to IEPF Authority.

Pursuant to the approved and sanctioned Scheme of Amalgamation amongst Tata Steel Long Products Limited ('TSLP') and Tata Steel Limited ('the Company') and their respective shareholders, TSLP has amalgamated into and with the Company effective November 15, 2023 ('Amalgamation'), Consequently, all public shareholders of TSLP holding shares as on the record date of November 17, 2023 have been allotted ordinary equity shares of the Company in the share exchange ratio of 67:10

In compliance with the Act read with the Rules, the Company has sent individual communication, in physical mode, to the concerned shareholder(s) (who held shares in TSLP and consequent to the Amalgamation, became shareholders of the Company) at their registered postal address, requesting them to claim the unclaimed dividend(s). This communication is addressed to those shareholders whose dividend(s) from TSLP (now amalgamated into and with the Company) remains unclaimed and consequently whose shares held in the Company (allotted pursuant to the Amalgamation) are liable to be transferred in favour of the IEPF Authority on September 4, 2024, as per the process laid down in the Rules. The shareholder(s) are advised to claim such unclaimed dividend(s) by September 3,

The Company has made available the relevant details of the concerned shareholder(s) whose shares are liable for transfer to IEPF in 2024, on its website at www.tatasteel.com. Shareholders are requested to refer to https://www.tatasteel.com/investors/investor-information/unclaimed-dividend/ to verify the details of their unclaimed dividend(s) and their shares.

Shareholders are requested to note that in case the dividend(s) are not claimed by September 3, 2024, the unclaimed dividend for FY 2016-17 will get transferred to IEPF. Further, the equity shares of the Company allotted to the shareholders consequent to the Amalgamation against those equity share(s) held by shareholders in TSLP (which has amalgamated into and with the Company effective November 15, 2023), in respect of which the dividend(s) remains unclaimed for 7 consecutive years shall be transferred in favour of IEPF Authority without any further notice to the shareholders in the following manner:

In case the equity shares are held:

- In physical form new share certificate(s) will be issued and transferred in favour of IEPF Authority on completion of necessary formalities. Hence, the original share certificate(s)/letter(s) of confirmation issued in your name will be deemed cancelled and non-negotiable.
- In dematerialized form the Company shall transfer the shares by way of corporate action through the Depositories to the demat account of IEPF Authority established by the Central Government

The concerned shareholders are requested to note that all future benefits arising on such equity shares transferred to IEPF, will also be issued/transferred in favour of the IEPF Authority established by the Central Government.

The shareholders may note that both the unclaimed dividend(s)/Equity Share(s) already transferred in favour of the IEPF Authority can be claimed by submitting an online application electronically (web form IEPF-5) available on the website of the Ministry of Corporate Affairs at <u>www.mca.gov.in</u> and sending physical copy of the same, duly signed, to the attention of the Nodal officer/Deputy Nodal officer, Tata Steel Limited at the Registered Office address (Bombay House, 24, Homi Mody Street, Fort, Mumbai 400001), along with the e-form IEPF-5 submission acknowledgement/challan and requisite documents enumerated in web form ${\sf IEPF-5}. \ Please \ note that the \ link \ to \ the \ web \ form \ is \ also \ available \ on \ the \ website \ of \ the \ Company \ \underline{www.tatasteel.com}$

The shareholders may further note that the details of unclaimed dividend and shares of the concerned shareholders uploaded by the Company on its website shall be treated as adequate notice in respect of issue of new share certificate by the Company for the purpose of transfer of shares in favour of IEPF Authority pursuant

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend(s) and equity shares that will be transferred to the IEPF within statutory timelines.

For any queries on the above matter, Shareholders are requested to contact either of the following:

Contact details of the Company	Registrars and Transfer Agents (RTA)
Tata Steel Limited	Link Intime India Private Limited
Nodal officer and Company Secretary &	C-101, 1 st Floor, 247 Park,
Chief Legal Officer (Corporate & Compliance)	Lal Bahadur Shastri Marg,
Bombay House, 24 Homi Mody Street,	Vikhroli (West), Mumbai 400 083.
Fort, Mumbai 400 001.	Tel No.: +91 810 811 8484
Tel No: +91 22 6665 7279	Email: <u>csg-unit@linkintime.co.in</u>

Tata Steel Limited

Chief Legal Officer (Corporate & Compliance) Membership No. ACS: 15921

NOTES: The above is an extract of the detailed format of audited Quarterly and year ender Financial Results for the year ended March 31, 2024 filed with the Stock Exchange unde Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the audited Financial Results for the year ended March 31, 202- are available on the website of the Company i.e. www.mohanmeakin.com and the Stocl Exchange in www.resindia.com)

are available on the website of the Company i.e. www.mohanmeakin.com and the Stock Exchange i.e. www.cse-india.com)

The figures for the quarter ended March 31, 2024 and the corresponding quarter of the previous year, as reported in these financial results, are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto the end of third quarter of the relevant financial years.

The board of Directors of the Company recommended a dividend of 20% i.e. Rs. 1.00 per equity shares of face value of Rs. 5.00 amounting to Rs.85.08/- Lakhs for the approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting.

Previous Period figures have been regrouped / reclassified wherever found necessary, to confirm to current period classification. Place : Mohan Nagar (Ghaziabad) Date : May 29, 2024

TAMIL NADU SMALL INDUSTRIES CORPORATION LIMIT	ED

e-TENDER NOTICE

Procurement of ERW Steel Tubes & Pipes as per IS:4923:2017.

Procurement of 40 x 40 x6mm M.S. Angle as per IS:2062 Gr. A. Procurement of Pre-laminated Particle board

Procurement of 1st quality seasoned vagai Timber wood Manufacturing and supply of student chair with cushion seat and back

Refer The Following website for Download Tender Documents and other Information

Principal Secretary

DIPR/1742/Tender/2024

Chairperson and Managing Director

Mumbai

May 30, 2024

Email: cosec@tatasteel.com

TATA STEEL

Parvatheesam Kanchinadham Company Secretary &

मोहाली पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

मोहाली, २९ मई (हप्र)

लोकसभा चुनावों को लेकर 1 जून को होने वाली वोटिंग को मुख्य रखते हुए मोहाली पुलिस ने बुधवार को डीएसपी सिटी-2 हरसिमरन सिंह बल की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में थाना फेज-11, फेज-8, थाना सोहाना, थाना आईटी सिटी के एसएचओ और पुलिस मुलाजिमों के अलावा सुरक्षा फोर्स के जवान व अधिकारी शामिल थे। यह फ्लैग मार्च गुरुद्वारा श्री अंब साहिब से शुरू होकर फेज-8 से होता हुआ फेज-9, फेज-10 और फेज-11 व एयरपोर्ट मार्ग से होता हुआ सोहाना से वापस फेज-8 में आकर खत्म हुआ। इस मौके पर डीएसपी हरिमसरन सिंह बल ने बताया कि पुलिस की ओर से चुनावों को मुख्य रखते हुए विशेष चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने के लिए विशेष जांच की जा रही है जिसके तहत जगतपुरा कॉलोनी सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्र में भी चैकिंग की

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 जुलाई से 3

अगस्त तक उच्चतम न्यायालय में

लंबित मामलों के निपटारे के लिए

विशेष लोक अदालत का आयोजन

किया जाएगा। मुख्य न्याय

दंडाधिकारी एवं सचिव जिला

विधिक सेवाएं प्राधिकरण प्रवीण ने

बताया कि अम्बाला से संबंधित पक्ष

जिनके केस सर्वोच्च न्यायालय मं

लंबे समय से चल रहे हैं तथा

अपने केस को निपटाना चाहते हैं,

वे 28 जुलाई से पहले जिला

विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला

के कार्यालय में संपर्क कर सकते

कार्यालय में ऑनलाइन या हाइब्रिड किए जाएंगे।



मोहाली में बुधवार को लोकसभा चुनावों को लेकर पुलिस फ्लैग मार्च

गई है। डीएसपी बल ने बताया कि कर सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों के बीच सौहार्द बनाए रखने के लिए जिले के उपमंडलों में फ्लैग मार्च

नहीं कर सकेंगे प्रचार एक जून को होने वाले मतदान के

मोड के माध्यम से प्री.

कंसिलीएटॉरी बैठकें आयोजित की

जाएंगी जिसमें पार्टियों के मध्य

सुलह की संभावनाओं को परखते

हुए ऐसे मामलों पर आगामी

कार्रवाई की जाएगी। सीजेएम

प्रवीण ने बताया कि स्पेशल लोक

अदालत में श्रम मामले, चैक

बाउंस मामले, दुर्घटना क्लेम

मामले -मोटर दुर्घटना क्लेम,

उपभोक्ता संरक्षण मामले, धन

वसूली से संबंधित मामले,

पारिवारिक कानूनी मामले, सेवाओं

से संबंधित मामले, किराया संबंधी

भरणपोषण संबंधित मुद्दे, बंधक

शैक्षणिक मामले,

सुप्रीम कोर्ट में लगेगी स्पेशल लोक अदालत

विशेष लोक अदालत के माध्यम से आपराधिक मिश्रित मामले,

हैं। इसके तहत प्राधिकरण के मामले, भूमि विवाद मामले शामिल

मामले,

मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत सौ मीटर के दायरे में प्रत्याशी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा के भीतर मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में दौरान किसी भी बूथ में सौ मीटर के पहली जून के लिए निषेधाज्ञा जारी दायरे में प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर दी है। आशिका जैन ने कहा

कि पंजाब राज्य में लोकसभा चुनाव पहली जून को होने हैं और इन वोटों की गिनती 4 जून को होनी है। मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए जिले में निर्धारित मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में प्रचार नहीं किया जा सकेगा।

पांच से ज्यादा लोगों के एक साथ एकत्रित होने पर पाबंदी जिला मोहाली में तीस मई की शाम छह बजे के बाद कोई भी पार्टी अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक बैठकें करने, किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करने, नारेबाजी करने, पांच या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश जिले में 30 मई की शाम 6 बजे से पहली जून तक तक जारी रहेंगे।

उन्होंने कहा कि ये आदेश अर्धसैनिक बल, सैन्य बल, सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों, विवाह, धार्मिक समारोह, सरकारी समारोह और मृतक के अंतिम संस्कार पर लागू नहीं होगा।

मत्स्य विभाग अधिकारी, 2 कर्मियों पर रिश्वत का मामला

आशिका जैन ने इस संबंध में सभी

मतदान केंद्रों के सौ मीटर के दायरे

में प्रचार पर रोक लगा दी है। जिला

पंचकूला, २९ मई (हप्र)

हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसीबी की पंचकूला टीम ने बुधवार को मत्स्य विभाग के मुख्यालय में कार्यरत संयुक्त सचिव मीनाक्षी दिहया, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर जोगिंदर सिंह तथा सेवादार सत्येंद्र सिंह पर रिश्वत लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। आरोपी जोगिंदर सिंह तथा सत्येंद्र सिंह को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सत्येंद्र सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम में एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया गया कि हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को शिकायत प्राप्त हुई थी।

पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान

मोरनी, २९ मई (निस)

खंड की बालदवाला पंचायत के शेरज्वाइन में पानी की भारी किल्लत से स्थानीय ग्रामीण काफी परेशान हैं। दरअसल गांव को जिस ट्यूबवेल से पानी सप्लाई होता था वह खराब हो गया है और उसके बाद से ग्रामीणों के लिए जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी की सप्लाई का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। पानी की कमी पूरी करने के लिए लोगों को गंदे नाले से पानी भरना पड़ रहा है जिसमें जंगली जानवर और कुत्ते पानी पीते हैं और उसी में बैठे होते हैं। सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि उनका ट्यूबवेल दो वर्ष पूर्व मंजूर हुआ था लेकिन अभी तक उस पर कार्य शुरू नही हुआ।

अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं : केजरीवाल करंट लगने

मनीमाजरा, चंडीगढ़, २९ मई (हप्र)

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार शाम चंडीगढ़ के बापूधाम में आप और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार मनीष तिवारी के लिए प्रचार किया। चंडीगढ़ में लोगों से केजरीवाल ने कहा कि 'अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। केजरीवाल ने उम्मीदवार मनीष तिवारी के साथ चंडीगढ़ में एक विशाल रोड शो का नेतृत्व किया और लोगों से चंडीगढ़ में आप और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को चुनने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि यह हमारे लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दस सालों से मैं रोजाना 52 यूनिट की जनता भाजपा को वोट देती रही उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने भी उन्होंने जेल में मेरा इंसुलिन बंद लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव कर दिया। जिससे मेरा शुगर लेवल कहा कि किरण खेर 10 साल से जिसके कारण वह जेल से बाहर व्यक्ति का शुगर लेवल लंबे समय कभी चंडीगढ़ के लोगों से मिलने आने के बाद से भारत में कई जगहों तक बढ़ा रहता है तो उसका लीवर तक नहीं आईं।



पर गए और एक बात देखी कि कोशिश की। मैं 20 साल से केजरीवाल ने किरण खेर पर भी प्यारा लाल कुएं में उतर गया। रैली में भारी भीड़ को संबोधित डायबिटीज से पीड़ित हूं। पिछले हमला बोला और कहा कि चंडीगढ़ अचानक प्यारा लाल को करंट चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा ने इंसुलिन ले रहा हूं, यह जानते हुए है, लेकिन उन्होंने यहां के लोगों के लिए कुएं में उतरा लेकिन तब तक प्रचार करने के लिए जमानत दी, काफी बढ़ गया। अगर किसी चंडीगढ़ की सांसद हैं, लेकिन वह

कि भाजपा उनके साथ क्या करना ईमानदार आदमी हैं। उन्होंने कहा पिंजौर, 29 मई (निस) कि किरण खेर 10 साल से चंडीगढ़ की सांसद हैं, लेकिन वह कभी सैनी मोहल्ला पिंजौर में पानी के चंडीगढ़ के लोगों से मिलने तक एक कुएं में सफाई करने उतरे नहीं आईं। केजरीवाल ने लोगों से प्यारा लाल (60) के लिए वह मनीष तिवारी को वोट देने की अपील की और कहा कि हमें मिलकर इस बार भाजपा को हराना है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता मृतक प्यारा के सहयोगी दलेल कि भाजपा उनके साथ क्या करना सिंह ने बताया कि वे गर्मियों में चाहती है, लेकिन वह एक भाजपा और नरेंद्र मोदी हार रहे हैं। ईमानदार आदमी हैं। अगर मैं और सफाई का ठेका लेते थे। गत उन्होंने कहा कि भाजपा वालों ने ईमानदार नहीं हूं तो इस दुनिया में शाम को पहले उन्होंने बड़ी मोटर जेल में मुझे तोड़ने की हरसंभव कोई भी ईमानदार नहीं है। से कुएं का पानी निकाला और

और किडनी भी खराब हो सकता

है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता

से मजदूर की गई मौत

मौत का कुआं बन गया। कुएं में लगी पानी की मोटर से करंट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पानी कम होने पर कुएं की सफाई लगा। बाद में वह मदद करने के प्यारा दम तोड़ चुका था। सूचना मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया । पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

स्वस्थ व सुखी जीवन का आधार है योग

योग प्रोटोकॉल अभ्यास कार्यक्रम में पांच सौ से अधिक प्रतिभागियों ने की भागीदारी

अरुण नैथानी/ ट्रिन्यू चंडीगढ़, 29 मई

दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला में राजकीय योग शिक्षण व स्वास्थ्य महाविद्यालय चंडीगढ़ तत्वावधान में राष्ट्रीय कांफ्रेंस आयोजित की गई। कार्यक्रम के प्रातः कालीन सत्र में योग प्रोटोकॉल का सामूहिक अभ्यास कराया गया। जिसमें योग विशेषज्ञों ने इस प्राच्य विद्या का जीवन में अनुपालन करने का आह्वान किया। साथ ही योग को



चंडीगढ़ में बुधवार को राजकीय योग शिक्षण व स्वास्थ्य महाविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय कांफ्रेंस का उद्घाटन करते मुख्य अतिथि।

मंजूश्री गेस्ट ऑफ ऑनर रहीं। इन विभिन्न रोगों में कारगर उपचार मौके पर योग महाविद्यालय के बताया गया। साथ ही बताया गया स्वस्थ व सुखी जीवन का आधार प्राचार्य डॉ. महेंद्र सिंह ने योग दिवस कि गर्मी के दौरान वोट डालने जाते बताया। राजकीय योग शिक्षण व की श्रृंखला में आयोजित कार्यक्रमों वक्त मतदाता किन बातों का ध्यान स्वास्थ्य महाविद्यालय सेक्टर 23 में की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने रखें। योग की इस राष्ट्रीय कांफ्रेंस आयोजित इस कार्यक्रम में आयुष बताया कि इस योग प्रोटोकॉल में मुख्य वक्ताओं में पतंजिल विभाग चंडीगढ़ के डायरेक्टर अभ्यास कार्यक्रम में ट्राइसिटी के विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव अखिल कुमार मुख्य अतिथि थे। पांच सौ से अधिक प्रतिभागियों ने डॉ. जी.डी. शर्मा, डॉ. गिरीश झा कार्यक्रम में आयुष विभाग की भागेदारी की। इस मौके पर योग को (यूएसए) डॉ. भरत सिंह व योग

विभाग हिमाचल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सत्यप्रकाश पाठक ने योग के विभिन्न आयामों पर विचार साझा किए। डॉ. पाठक ने वैदिक विज्ञान की पृष्ठभूमि पर व्याख्यान दिया । कार्यक्रम की शुरुआत संस्कृत शिक्षक डॉ. गुणानिधि शर्मा व छात्राओं द्वारा भारतीय वैदिक वंदना, भजन व मंत्रोचारण के साथ की गई। इस मौके पर योग के छात्र-छात्राओं द्वारा एडवांस योगासनों की मोहक प्रस्तुति की गई। मंच का संचालन कार्यक्रम सचिव डॉ. अनुपमा कौशल व सर्घी कोहली द्वारा किया गया। कार्यक्रम में चंडीगढ़ के अलावा पंचकूला व मोहली में सिक्रय विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों से जुड़े योग शिक्षकों, चिकित्सकों, योगसाधकों व छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किये गए।

समान वेतन देने की मांग, प्रशासक को पत्र भेजा

मनीमाजरा (चंडीगढ़), २९ मई (हप्र)

बुधवार को ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से चडीगढ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित को यूटी कर्मचारियों की मांगों का मांग पत्र भेजा गया और मांग की कि चंडीगढ़ के अलग-अलग विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स वर्कर्स के लिए पॉलिसी बनाई जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए।

उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रसाशान द्वारा डेलीवेज वर्कर्स को रेगुलर करने की बनाई पॉलिसी में रहते वर्कर्स को कवर किया जाए, खाली पदों को भरा जाए, यूटी कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल लाभ दिया जाए, मिड डे मील वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर का वेतन बढ़ाया जाए। पीएन के रूलों मे संशोधन किया जाए और उनको क्लर्क बनाया जाए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कनवीनर अश्वनी कुमार, चेयरमैन सुरमुख सिंह, कुलदीप सिंह और कमल कुमार ने मांग की कि यूटी कर्मचारियों की मांगो को जल्द पूरा किया जाए।

अम्बाला लोकसभा चुनाव के दौरान

इसके साथ-साथ पुलिस व अलग-

अलग फ्लाइंग स्कवायड टीम ने

शराब, ड्रग्स आदि को भी पकड़ा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी

डॉ. शालीन ने बताया कि चुनाव के

दौरान करीब 3455 लीटर अवैध

शराब भी पकड़ी गई। इसकी कीमत

की गाड़ी पहुंची । यदि दमकल की गाड़ी समय पर पहुंचती तो आग इतनी अधिक ना भड़कती। यह प्लास्टिक का गोदाम रिहायशी इलाके के साथ सटा हुआ है। एहतियातन आसपास के घरों को खाली करवाया गया। इन घरों में जिसे दोपहर 3 बजे तक बुझाया जा साथ पहुंच गए थे। 59 लाख रुपये की नकदी, करोड़ों की शराब और ड्रग्स सीज

की ड्रग्स पकड़ी गई जिनका बाजारी मूल्य करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपये है। उन्होंने बताया कि चुनाव चार विधानसभा क्षेत्रों में 59 लाख के दौरान फ्लाइंग टीमों की नजर रुपये की नकदी सीज की गई। चप्पे-चप्पे पर रही। इन टीमों ने बेहतर तरीके से कार्य किया और कैश आदि को सीज किया। इसके अतिरिक्त पुलिस ने भी इंटर स्टेट व डिस्ट्रिक्ट नाके लगाए। इंटर आयकर विभाग, सीजीएसटी, राज्य विभाग, जीआरआई जीएसटी विभाग, ईडी विभाग सहित अन्य करीब साढ़े 13 लाख रुपये है। इस विभाग ने भी चुनावों की तमाम दौरान बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार गतिविधियों पर नजरें बनाकर रखीं।

भारतीय सेना में भर्ती की दी जानकारी



अम्बाला शहर में बुधवार को पॉलीटेक्निक में छात्रों को सेना भर्ती की जानकारी देते सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह।-हप्र

अम्बाला शहर, २९ मई (हप्र)

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान में भारतीय सेना द्वारा एनसीसी के विद्यार्थियों को भर्ती सबंधी जानकारी देने हेतु सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह व सुबेदार एके चौधरी उपस्थित रहे।

सुबेदार मेजर योगेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को भारतीय सेना में भर्ती

को लेकर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तीन वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद भारतीय सेना के तकनीकी विभाग में विद्यार्थी जा सकते हैं । इस अवसर पर संस्थान प्रधानाचार्य डॉ. राजीव सपरा ने भारतीय सेना से आए हुए वक्ता को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। भारतीय सेना से क्राफ्टमैन कृष्णा हरि, विभागाध्यक्ष जगजीत सिंह नारंग व एनसीसी के विद्यार्थी उपस्थित थे ।

अम्बाला में आयुक्त को सौंपा ज्ञापन



अम्बाला शहर में नगर निगम आयुक्त संगीता तेतरवाल को ज्ञापन सौंपते डिप्टी मेयर व साथी पार्षद्।-हप्र

कहा-मानसून से पहले नालों की सफाई करवाई जाए

आगामी मानसून से पहले नगर निगम क्षेत्र से पानी निकासी का पर्याप्त प्रबंध करने के लिए कांग्रेस पार्षदों ने डिप्टी मेयर राजेश मेहता के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त संगीता तेतरवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई की शीघ्र से शीघ्र ही सफाई अभियान शुरू कराया जाए। डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने कांग्रेस पार्षदों मिथुन वर्मा, पार्षद मेघा इशू गोयल, राकेश सिंगला, जसबीर सिंह के साथ इस गंभीर मुद्दे पर सांझा चेताया और जल्द से जल्द नालों की सफाई करवाने को कहा। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को चेताया कि

यदि स्थानीय विधायक से नालों की सफाई का शुभारंभ करवाना है तो वे समय रहते करवा लें। पिछली बार नगर निगम प्रशासन नालों की सफाई को लेकर शहर के विधायक द्वारा नारियल फोड़ने का इंतजार करता रहा, जिसके चलते देर से काम शुरू हुआ और पूरा क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गया था। ऐसे में कहीं पिछली बार वाला हाल ना हो जाए, उसकी व्यवस्था कर ली जाए। उन्होंने बताया कि शहर में नालों की सफाई न होना सबसे चिंता का कारण बना हुआ है। पिछले साल अम्बाला ने इन्हीं लापरवाहियों की वजह से बाढ़ की मार झेली। उन्होंने कहा कि इसलिए कांग्रेस पार्षंदों ने पहले ही नगर निगम प्रशासन के प्रेसवार्ता करते हुए अधिकारियों को संज्ञान में ला दिया है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर नगर निगम कमिश्नर संगीता तेतरवाल को कांग्रेस पार्षदों ने ज्ञापन सौंपा है।

कबाड़ और लकड़ी के गोदाम में भीषण आग एहतियातन आसपास के कई घरों को करवाया खाली

पिंजौर-नालागढ़ नेशनल हाईवे पर स्थित ब्लॉक के गांव शाहपुर स्थित प्लास्टिक के कबाड़ के गोदाम में सुबह आग लग गई जिसे कालका और बद्दी की 5 दमकलों ने लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया ही था कि थोड़ी दूरी पर गांव मढ़ावाला स्थित लकड़ी के एक गोदाम में भी भीषण आग भड़क गई जिसे देर शाम तक कई दमकल की गाड़ियों ने बुझाया। इतना ही नहीं शाहपुर एवं आसपास के लोगों के अनुसार प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने के लगभग डेढ़ घंटे बाद कालका से दमकल



पिंजौर के गांव शाहपुर स्थित कबाड़ के गोदाम में आग लगने के बाद उठता काला धुआं। -निस

अधिकतर बद्दी, बरोटीवाला की सका। उसके कुछ समय बाद ही कंपनियों में काम करने वाले मढ़ावाला गोदाम में आग लग गई। कर्मचारी रहते हैं। सुबह लगभग 11 मौके पर मढ़ावाला पुलिस चौकी बजे शाहपुर के गोदाम में आग लगी इंचार्ज मानसिंह भी अपनी टीम के

173 कर्मचारियों ने किया रक्तदान

पंचकूला, २९ मई (हप्र)

भीषण गर्मी की वजह से अस्पतालों में रक्त की कमी को पूरा करने हेतु हैफेड कॉरपोरेट ऑफिस पंचकूला द्वारा श्री शिव कांवड़ महासंघ चैरिटेबल ट्रस्ट, पंचकूला, निफा, चंडीगढ़ एवं जिला रेडक्रॉस सोसायटी, पंचकूला एवं ब्लड बैंक, सिविल हॉस्पिटल के सहयोग से हैफेड कॉरपोरेट ऑफिस परिसर में रक्तदान जागरूकता शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत के रावत, गुलशन कुमार उपस्थित रहे।

कर कमलों द्वारा किया गया। श्री शिव कांवड़ महासंघ चैरिटेबल ट्रस्ट के डायरेक्टर रमेश नारंग एवं निफा चंडीगढ़ के प्रधान राकेश कुमार संगर ने बताया कि रक्तदान शिविर में 173 कर्मचारियों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर हैफेड के देशवाल महाप्रबंधक, सत्यवान सिंह धनखड उपमंडल अभियंता, अजीत नरवाल, सतीश दहिया, चंद्रमोहन, मुकेश गुप्ता और श्री शिव कांवड़ महासंघ चैरिटेबल ट्रस्ट के लक्ष्मण सिंह

৮ एव डी एक सी बैंक आर.ओ. : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, वेस्ट मुम्बइ

अचल प्रापर्टियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

'परिशिष्ट-IV-ए" [नियम 8(6) की व्यवस्था देखें] सिक्योरिटी इंट्रस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्ज, 2002 के नियम 8 (6) की व्यवस्थाओं के साथ पर जाने वाले सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फायनेंशियल एस्सेट्स एंड इनफोर्समेंट आफ सिक्योरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 के तहत अचल प्रापर्टी की बिक्री करने हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना सर्व साधारण तथा विशेष रूप में कर्जदार एवं गारंटर को विधिवत सूचित किया जाता है कि सुरक्षित क्रेडिटर एचडीएफसी बैंक लिमि. के अधिकृत अधिकारी ने सुरक्षित क्रेडिटर के पास गिरवी रखी/चार्ज्ड निम्न वर्णित अचल प्रापर्टी का फिज़ीकल कब्जा ले लिया है तथा उक्त को ''यथा स्थान.'' ''यथा स्थिति'' तथा ''जिस भी हाल में है'' आधार पर 26 **जून,** 2024 को बेचा जाएगा ताकि **सुनी**ल कुमार पुत्र सत नारायण गुप्ता और श्रीमती सुमन गर्गे पत्नी सुनील कुमार से एचडीएफसी बैंक लिमि. सुरक्षित क्रेडिटर के अगले ब्याज, लागू चार्जेज सहित 13.01.2021 के अनुसार 5. 27,05,716/- की वसूली की जा सके। आरक्षित कीमत **रु.** 22,10,400/- होगी तथा धरोहर

राशि जमा रु. 2,21,040/- होगी। अचल प्रापर्टी का अल्प विवरण : कमर्शियल प्लाट नं. 15, दर्राकलां 30 मी. सड़क से दक्षिण थानेसर तह. थानेसर जिला कुरुक्षेत्र में स्थित पैमायश 1 मरला/33.33 वर्ग गज (अंदाजन) (खेवट नं. 1509. सलाम खेवट कित्ते 4. रकबा 8 कनाल 7 मरले इसका

1/167 हिस्सा अर्थात 1 मरला)। बिक्री की विस्तृत शर्तों एवं प्रतिबंधों हेतु कृपया एचडीएफसी बैंक लिमि., सुरक्षित क्रेडिटर की वेबसाइट में प्रदान लिंक देखें।

दिनांक: 30.05.2024 स्थान : पानीपत. हरियाणा।

एचडीएफसी बैंक लिमि.

आर.ओ. : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, वेस्ट मुम्ब

अचल प्रापर्टियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना "परिशिष्ट-IV ए" [नियम 8(6) की व्यवस्था देखें]

सिक्योरिटी इंट्रस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्ज, 2002 के नियम 8 (6) की व्यवस्थाओं के साथ पढ़े जाने वाले सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फायनेंशियल एस्सेट्स एंड इनफोर्समेंट आफ सिक्योरिटी

इंटस्ट एक्ट 2002 के तहत अचल प्रापर्टी की बिक्री करने हेत ई-नीलामी बिक्री सचना सर्व साधारण तथा विशेष रूप में कर्जदार एवं गारंटर को विधिवत सूचित किया जाता है कि सुरक्षित क्रेडिटर एचडीएफसी बैंक लिमि. के अधिकृत अधिकारी ने सरक्षित क्रेडिटर के पास गिरवी रखी/चार्ज्ड निम्न वर्णित अचल प्रापर्टी का फिज़ीकल कब्जा ले लिया है तथा उक्त को ''यथा स्थान,'' ''यथा स्थिति' तथा ''जिस भी हाल में है'' आधार पर 26 **जून,** 2024 को बेचा जाएगा ताकि **मै. पनवर वुड वर्क्स** मार्फत इसके प्रोपराइटर श्री सोनू पुत्र श्री रमेश कुमार, श्री राजू पुत्र श्री रमेश कुमार तथा श्रीमती **संगीता पत्नी श्री राजू** से सुरक्षित क्रेडिटर एचडीएफसी बैंक लिमि. के प्रति देय तथा भविष्य के ब्याज एवं लागु होने वाले चार्जिज सहित 11.02.2019 के अनुरूप बकाया रु. 3152602/- की राशि की वसूली की जा सके। आरक्षित कीमत रु. 26,55,000/- होगी तथा धरोहर राशि जमा रु. 2,65,500/- होगी अचल प्रापर्टी का अल्प विवरण : मकान नं. 17, पुराना वार्ड नं. 2 (न्यू वार्ड नं. 3) धर्मबीर कालोनी घरौंडा, तहसील घरौंडा तथा जिला करनाल में स्थित, माप 18'x 47'//04 वर्ग गज। बिक्री की विस्तृत शर्तों एवं प्रतिबंधों हेतु कृपया एचडीएफसी बैंक लिमि., सुरक्षित क्रेडिटर की वेबसाइट https://www.hdfcbank.com/personal/resources/important-notices # प्रदान लिंक देखें।

टिप्पणी : उक्त प्रापर्टी का फिज़ीकल कब्जा माननीय न्यायालय डी एम (करनाल) हरियाणा द्वारा पास आदेश के अनुसार अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया।

दिनांक: 30.05.2024 स्थान : पानीपत, हरियाणा

अधिकत हस्ताक्षरी एचडीएफसी बैंक लिमि.

मोहन मीकिन लिमिटेड पंजी. कार्यालय : सोलन ब्रुअरी (डाकघर) शिमला हिल्ज (हि.प्र.)-173214 CIN No. L15520HP1934PLC000135 वेबसाइट : www.mohanmeakin.com फोन नं. : 01792-230450, 230423, Email ID : solan@mohanmeakin.com

	मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु अकीक्षत वित्तीय परिणामी का सार							
	(रु. लाखों में, प्रति इक्विटी शेयर डाटा को छोड़क							
		समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष			
		31.03.2024	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2023			
		अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित			
1.	आप्रेशनों से कुल आय	59,905.64	1,92,992.27	46,443.31	177,121.29			
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर, असाधारण तथा/या विशिष्ट आइटमों से पूर्व)	4,016.07	11,393.96	2,734.24	8,878.54			
3.	कर पश्चात अवधि हेतु शुद्ध लाभ (विशिष्ट तथा/या असाधारण आइटमों के बाद)	4,016.07	11,393.96	2,734.24	9,179.58			
4.	कर पश्चात अवधि हेतु शुद्ध लाभ (विशिष्ट तथा/या असाधारण आइटमों के बाद)	2,969.34	8,470.00	2,024.79	6,839.50			
5.	अवधि हेतु कुल विस्तृत आय [(अवधि हेतु लाभ शामिल (कर पश्चात) तथा अन्य विस्तृत आय (कर पश्चात)]	3,122.60	8,695.59	2,028.85	6,911.70			
6.	पेडअप इक्विटी शेयर पूंजी	425.42	425.42	425.42	425.42			
7.	पिछले वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट के अनुसार रिजर्व (पुनः मूल्यांकित रिजर्व को छोड़कर)		36,206.85		27,596.34			
8.	कमाई प्रति शेयर (फेस वैल्यू रु. 5/- प्रत्येक) बेसिक एवं कम हुई (रु.)	34.90	99.55	23.80	80.38			
0								

स्टाक एक्सचेंज के पास दायर 31 मार्च, 2024 को समाप्त अंकेक्षित तिमाही व समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्त प्रारूप का उक्त सार है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसा

www.mohanmeakin.com तथा स्टाक एक्सचेंज की वेबसाइट : www.cse-india.com पर उपलब्ध है इन वित्तीय परिणामों में रिपोर्ट किए अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही तथा पिछले वर्ष की बरावर की तिमाहें के आंकड़े सम्बद्ध वित्तीय वर्षों की तृतीय तिमाही के अंत तक वर्ष में आज तक के प्रकाशित तथा पूर्ण वित्तीय वर्ष के संबंध में अंकेशित आंकड़ों के बीच संतुलित आंकड़े हैं। ii) कम्पनी के निदेशक मण्डल ने आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयर होल्डरों की स्वीकृति हेतु रु. 85.08 लाख व

लागत वाले प्रत्येक रु. 5.00 की फेस वैल्य के रु. 1.00 प्रति इक्विटी शेयर अर्थात 20% लाभांश की सिफारिश की है। वर्तमान अवधि वर्गीकरण के लिए पुष्टि हेर्तु अनिवार्य होने पर पिछली अवधि से आंकड़ों को पुनः गठित/पुनः वर्गीकृ

तिथि : 29 मई, 2024 (DIN: 00197951)



